खास-खबरें

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण



शहडोल: क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. जी.एस. परिहार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरकंटक एवं पुष्पराजगढ़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में साफ-सफाई की व्यवस्था, मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य अमले की उपस्थिति का जायजा लिया। डॉ. परिहार ने स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता बनाए रखने, मरीजों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सभी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारु संचालन और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बटूरा में 60 टन अवैध कोयला भंडारण पकड़ा, ट्रेलर जब्त



शहडोल: कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल एवं पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार अग्रवाल के निर्देशन में खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम बटूरा, तहसील बुढ़ार क्षेत्र में कोयला खनन संबंधी शिकायत की जांच की। जांच के दौरान ग्राम बटूरा में सोन नदी के पास लगभग 60 टन कोयले का अवैध भंडारण पाया गया। कार्रवाई के दौरान कोयले के अवैध भंडारण में एक ट्रेलर संलिप्त पाया गया। टीम ने अवैध रूप से भंडारित लगभग 60 टन कोयले एवं ट्रेलर को लावारिस हालत में जब्त किया। जब्त कोयले को जेसीबी की सहायता से ट्रेलर में लोड कराया गया तथा वाहन सहित कोयले को थाना अमलाई की अभिरक्षा में रखा गया है। अवैध कोयला भंडारण के संबंध में प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय शहडोल में प्रस्तुत किया जाएगा।

31 दिसंबर तक चलेगा वित्तीय समावेशन अभियान

उमरिया : कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय के निर्देशानुसार जिले में 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक वित्तीय समावेशन अभियान चलाया जाएगा। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत संचालित इस अभियान के तहत जिले की समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक ने जिले के सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिविरों में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न बैंकिंग योजनाओं एवं वित्तीय सेवाओं की जानकारी देने के साथ उन्हें योजनाओं से जोड़ने तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।अभियान का उद्देश्य आमजन को बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक करना तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना है। इससे जिले के अधिक से अधिक नागरिक वित्तीय सेवाओं से जुड़कर शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

मत्स्य संपदा योजना के लिए जनजाति मछली पालक 27 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

रीवा: भारत सरकार की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के आर्थिक विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। मछलीपालन विभाग द्वारा धरती आबा योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछलीपालक किसानों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ देने के लिए अवसर दिया जा रहा है।

इस संबंध में सहायक संचालक मछलीपालन कमल नरवाय ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछलीपालक किसान 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ स्वयं की भूमि का खसरा तथा नक्शा, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा पासपोर्ट आकार की दो फोटो संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र सहायक संचालक मछलीपालन कार्यालय शिल्पी प्लाजा एक ब्लॉक में जमा करें।

सहायक संचालक ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जनजातीय वर्ग के हितग्राहियों को मछलीपालन तालाब निर्माण, बायोफ्लाक तालाब निर्माण, आरएएस निर्माण, मछलियों के लिए पोषक आहार निर्माण इकाई तथा हेचरी निर्माण के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना से आइस प्लान, मछली परिवहन के लिए आइस बाक्स के साथ मोटरसाइकिल तथा इंसुलेटेड वाहन के लिए भी सहायता दी जाती है। जनजातीय वर्ग के हितग्राहियों को इकाई लागत की 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए कार्यालयीन समय में सहायक संचालक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

विजयादशमी पर पुलिस लाइन सीधी में विधि-विधान से हुआ शस्त्र पूजन

भारतीय संस्कृति में शस्त्र पूजन वीरता और कर्तव्य का प्रतीक : डॉ. मिश्रा



नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी : विजयादशमी के पावन पर्व पर पुलिस लाइन सीधी स्थित शस्त्रागार में शस्त्र पूजन कार्यक्रम हर्षोल्लास एवं पारंपरिक श्रद्धा के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, कलेक्टर विकास मिश्रा, पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी सहित उपस्थित अतिथियों एवं पुलिस अधिकारियों ने शक्ति स्वरूपा मां काली की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुतियां अर्पित कीं। इसके पश्चात शस्त्रों एवं पुलिस वाहनों का पूजन किया गया। अतिथियों ने विशेष शस्त्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने शस्त्रों के सम्मान और शास्त्रों के ज्ञान को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए वीरता, शौर्य एवं कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया।

सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि 'शस्त्र का सम्मान और शास्त्र का ज्ञान, यही है हमारी संस्कृति का महान प्रमाण।' विजयादशमी का पर्व अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें शक्ति, साहस, आत्मसम्मान और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है।उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में शस्त्र शक्ति, साहस और सुरक्षा के प्रतीक हैं। शस्त्रों की सार्थकता धर्म की रक्षा, अन्याय के प्रतिकार तथा समाज में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में है। वहीं, शास्त्र हमें विवेक, मर्यादा और सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। शक्ति का उपयोग सदैव न्याय, जनकल्याण और लोकहित के लिए किया जाना चाहिए।सांसद ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। शस्त्र पूजन की परंपरा कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण का संदेश देती है। उन्होंने जिले में शांति, सद्भाव और खुशहाली बनाए रखने की कामना करते हुए जिलेवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं।

जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह ने जिलेवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शस्त्र पूजन भारतीय संस्कृति की प्राचीन और गौरवशाली परंपरा है। यह पर्व हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, सत्य के मार्ग पर चलने और समाज में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। शक्ति का उपयोग सदैव जनकल्याण, सुरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। उन्होंने सभी के सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की।कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिलेवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व सत्य, धर्म और न्याय की विजय का संदेश देता है। विजयादशमी हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा समाज के व्यापक हित में कार्य करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। त्योहारों के अवसर पर नागरिकों की सहभागिता और सहयोग से शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित होता है। उन्होंने सभी जिलेवासियों से आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ पर्व मनाने तथा जिले की सामाजिक समरसता को मजबूत बनाने की अपील की।



सतत निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से जारी है प्रतिमा विसर्जन

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने की व्यवस्था

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी : जिले में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से जारी है। कलेक्टर विकास मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी की सतत निगरानी में जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विसर्जन प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा रहा है।

विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, यातायात का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने तथा विसर्जन स्थलों पर साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस बल को सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने तथा श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन एवं पुलिस की टीमें विसर्जन स्थलों पर तैनात रहकर व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रही हैं। प्रशासन एवं पुलिस के समन्वित प्रयासों से जिले में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से जारी है।

आतिशबाजी लायसेंस के लिए आवेदन 31 अक्टूबर तक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा : दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी विक्रेता 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक एमपी ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से आतिशबाजी लायसेंस के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से करना होगा।

शहरी क्षेत्र रीवा के लिए आतिशबाजी लायसेंस के आवेदन की हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। शहरी क्षेत्र के लिए आतिशबाजी लायसेंस के नवीन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि आतिशबाजी लायसेंस के आवेदन के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट फोटो, वोटर आईडी, एवं आधार कार्ड की छायाप्रति और 500 रूपये शुल्क लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जमा करना होगा। आतिशबाजी/पटाखा विक्रय के लिए अस्थाई लायसेंसधारी को बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित स्थानों में दुकान लगानी होगी।

कलेक्टर ने बताया कि दुकानों आवंटन 4 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे से लाटरी द्वारा किया जायेगा। लायसेंसधारी दुकानदारों को 6 नवम्बर से 8 नवम्बर तक तथा 20 नवम्बर को आतिशबाजी, पटाखा विक्रय के लिए बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में तथा ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति दी जायेगी। आतिशबाजी विक्रय के निर्धारित स्थल के अतिरिक्त कहीं भी आतिशबाजी की दुकान लगाना व विक्रय करना दण्डनीय अपराध माना जायेगा। अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को भारत सरकार द्वारा जारी दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के क्रय-विक्रय हेतु निर्देशों का पालन करना होगा। दुकानों का लेआउट एवं नंबरिंग व आवंटन लाटरी के माध्यम से करने के लिए समिति बनायी गयी है। समिति में एसडीएम हुजूर जितेन्द्र तिवारी, तहसीलदार हुजूर नगर अनुपम पाण्डेय, नायब तहसीलदार हुजूर यतीश शुक्ला, कार्यपालन यंत्री नगर निगम राजेश सिंह तथा सिद्धार्थ सिंह को शामिल किया गया है।

शस्त्र पूजन शक्ति-सुरक्षा का प्रतीक है : जायसवाल

विजयादशमी पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम : राज्यमंत्री ने पुलिस बल की सराहना की



नईदुनिया प्रतिनिधि, अनुपपुर : विजयादशमी के पावन अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन अनूपपुर में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिलीप जायसवाल ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ हवन अनुष्ठान कर शस्त्र पूजन किया। उन्होंने जिलेवासियों को दशहरा पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। साथ ही, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन विरासत से विकास की ओर बढ़ते हुए सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि शस्त्र पूजन हमें शक्ति, साहस और सुरक्षा के महत्व का स्मरण कराता है। व्यक्ति के पास कितना भी धन, बुद्धि और ज्ञान क्यों न हो, लेकिन यदि उसमें अपनी रक्षा करने की शक्ति नहीं है, तो वह चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। भारतीय संस्कृति में देवी-देवताओं के एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र होने की परंपरा ज्ञान के साथ शक्ति के महत्व का संदेश देती है। हमें शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अन्याय और दुष्ट प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए शक्ति का उपयोग भी करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था, जब भारत को आधुनिक हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारत आधुनिक रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सहित विभिन्न सैन्य अभियानों ने देश की सामरिक क्षमता और सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किया है। आधुनिक हथियारों और सशक्त सुरक्षा बलों के कारण भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य की पहचान स्थापित की है।

राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने पुलिस बल की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की सजगता, कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण के कारण देश, प्रदेश और जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहती है।

उद्योगों, शासकीय कार्यालयों, सामाजिक गतिविधियों तथा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों का शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होना सुरक्षा बलों की सतत सक्रियता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पुलिस का भय अपराधियों और असामाजिक तत्वों में होना चाहिए, जबकि आम जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहना चाहिए। पुलिस बल ने अपने कार्यों से जनता के बीच जो विश्वास अर्जित किया है, उसे निरंतर बनाए रखना आवश्यक है। राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने विजयादशमी पर शस्त्र पूजन को शक्ति, कर्तव्य और राष्ट्र सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक बताते हुए पुलिस बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं।

पुलिस लाइन में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों का किया सम्मान



नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड: पुलिस स्मृति दिवस पर बुधवार, 21 अक्टूबर को रक्षित केंद्र पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जवानों की स्मृति में शोक परेड आयोजित की गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में शहीद हुए जवानों और पिछले एक वर्ष में कर्तव्य निभाते हुए बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों के नामों का वाचन किया गया।

कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन राजपूत, एसडीओपी अटेर रविंद्र वास्कले, डीएसपी सुबोध लोखंडे, डीएसपी महिला सेल सतीश चौहान, एसडीओपी मेहगांव संजय, एसडीओपी गोहद महेंद्र गौतम, रक्षित निरीक्षक अरविंद सिकरवार सहित विभिन्न थानों के प्रभारी, पुलिसकर्मी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

दादी जानकी शर्मा ने जिला चिकित्सालय उमरिया को दान कीं 100 बेडसाइड टेबल

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया : नाती-पोती के प्रसव के दौरान मिली बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से प्रभावित होकर लिया था दान का संकल्प उमरिया 20 अक्टूबर। जयपुर निवासी दादी जानकी शर्मा ने पांच वर्ष पूर्व अपने नाती एवं पोती के प्रसव के दौरान पंडित दीनदयाल चिकित्सालय, जिला उमरिया में उपलब्ध बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और कुशल चिकित्सा सेवाओं को देखकर अस्पताल को कुछ दान देने का संकल्प लिया था। उनके मन में अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति संतोष और प्रसन्नता का भाव जागा, जिसके बाद उन्होंने मरीजों की सुविधा के लिए 100 बेडसाइड टेबल दान करने का निर्णय लिया।

शक्ति का उपयोग राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए हो : प्रहलाद पटेल



नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर : मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सनातन परंपरा में शास्त्र और शस्त्र दोनों का विशेष महत्व है। सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सशक्त समाज के निर्माण के लिए शास्त्रों के ज्ञान के साथ शस्त्रों के महत्व और उनके जिम्मेदार उपयोग की समझ भी आवश्यक है। हमें स्वस्थ, समर्थ और शक्तिशाली बनकर समाज एवं राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को पुलिस लाइन नरसिंहपुर में विजयादशमी पर्व के अवसर पर आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति नीलेश ककोड़िया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता राजेंद्र ठाकुर, पूर्व राज्यमंत्री श्री जालम सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष नरसिंहपुर श्री नीरज दुबे, श्री रामसनेही पाठक, महंत प्रीतमपुरी गोस्वामी, श्री सुनील कोठारी, श्री राहुल कौरव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा, अन्य गणमान्य नागरिक, अधिकारी- कर्मचारी और पुलिस बल मौजूद था। आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्री पटेल व अन्य अतिथियों ने विधि - विधान के साथ शस्त्र पूजन कर आरती की। मंत्री श्री पटेल ने आयोजित कार्यक्रम में जिलेवासियों को विजयादशमी पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हमारे सैनिक, पुलिस एवं अर्धसैनिक बल संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उनका पहला संकल्प राष्ट्र की रक्षा करना और दूसरा समाज में सद्भाव एवं शांति बनाए रखना है। सुरक्षा बलों का अनुशासन और समर्पण समाज को सुरक्षित रखने तथा उसे सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि शस्त्रों का उपयोग राष्ट्र की रक्षा, समाज की सुरक्षा और आवश्यकता पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। विजयदशमी का पर्व हमें शक्ति, साहस, धैर्य और संयम का महत्व समझाता है।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

मंडल कार्यालय : झर्रा तिकुरिया प्रथम मंजिल, आस्था प्लाज़ा, , कटनी - 483501 (म.प्र.) ईमेल - coktnsamd@pnb.bank.in

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतदारों/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक आधिपत्य/सांकेतिक आधिपत्य (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जो है'', ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/बंधककर्ताओं से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपये की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशी निम्नलिखित है:

ई-नीलामी दिनांक एवं समय –26.11.2026 सुबह11:00 बजे से 05:00 बजे तक (आवश्यक होने पर सायंकल 05:00 बजे के बाद 10 मिनिट के अंतराल का विस्तार किया जाएगा)। ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 25.11.2026

उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता के नाम	अचल संपत्ति/प्रत्याभूत आस्ति का विवरण	अ) मांग सूचना दिनांक ब) आधिपत्य दिनांक स) आधिपत्य प्रकार द) बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) बिड वृद्धि राशि द)ई नीलामी दिनांक एवं समय
1. शाखा: शहडोल (म.प्र.) **1. मैसर्स गौनिधि डेयरी (उधारकर्ता), पैन – AAQFG5696N (उधारकर्ता), पता: 1.** ग्राम - सेमरा बुरहार, शहडोल जिला-शहडोल (म.प्र.)-484110, **2. मुन्नालाल सोनी पिता सोहनलाल सोनी (उधारकर्ता / पार्टनर / बंधककर्ता), पता :** 76, धनपुरी, तहसील-सोहागपुर, जिला. शहडोल, (म.प्र.)-484114, **3. वीरेंद्र सोनी पिता मुन्नालाल सोनी, (उधारकर्ता / पार्टनर / बंधककर्ता), पता : 1.** वार्ड क्रमांक 20, खेर माता के पास धनपुरी, सोहागपुर, शहडोल, जिला. शहडोल, (म.प्र.), **पता : 2.** एचएन 16, ग्राम सेमरा, तहसील बुडार, जिला शहडोल, (म.प्र.), **4.विनय सोनी पिता मुन्नालाल सोनी, (उधारकर्ता / पार्टनर / बंधककर्ता),** वार्ड नंबर 20, बाजार मोहल्ला, ज्वालामुखी धनपुरी, शहडोल, जिला-शहडोल (म.प्र.), **5. रजनी सोनी पति वीरेंद्र सोनी, (उधारकर्ता / पार्टनर / बंधककर्ता),** वार्ड क्रमांक 20, बाजार मोहल्ला, ज्वालामुखी धनपुरी, शहडोल, जिला-शहडोल (म.प्र.), **6. श्रीमती रचना सोनी पति श्री विनय कुमार सोनी, (उधारकर्ता / पार्टनर / बंधककर्ता),** वार्ड नंबर 20, बाजार मोहल्ला, ज्वालामुखी रोड, धनपुरी, तहसील बुढ़ार, शहडोल (म.प्र.), **7. शोभा सोनी पति मुन्नालाल सोनी, (उधारकर्ता / पार्टनर / बंधककर्ता),** वार्ड नंबर 20, ज्वालामुखी रोड, बाजार मोहल्ला, धनपुरी, सोहागपुर, शहडोल, जिला-शहडोल (म.प्र.) 488114, **8. राजेंद्र कुमार सोनी पिता सुरेश कुमार सोनी, (जमानतदार / बंधककर्ता),** 215/5, डॉ. राधाकृष्ण वार्ड क्रमांक 11.जिला-अनूपपुर (म.प्र.), **9. अर्जुन प्रसाद कुशवाह पिता रामजियावन कुशवाह, (जमानतदार / बंधककर्ता),** 261, ग्राम-करकटी, तहसील-सोहागपुर, जिला-शहडोल (म.प्र.)	**1.** अचल संपत्ति मौजा-करकटी, पटवारी हल्का नंबर 99 करकटी , ज.न. 72, रा.नि.म. -बुढार, ब्लॉक और तहसील-सोहागपुर, जिला-शहडोल, खसरा नंबर 256/1 (पुराना), 256/1/ख (नया), **क्षेत्रफल- 0.105 हेक्टेयर, चतुर्सीमा – उत्तर** – गांव की ओर जाने वाली सड़क, **दक्षिण** – रामजियावन की भूमि, **पूर्व** – रामखिलावन और अन्य की भूमि, **पश्चिम** – सड़क, **मालिक और बंधककर्ता**–श्री अर्जुन कुशवाहा पिता श्री रामजियावन कुशवाहा, **2.** अचल संपत्ति मौजा-सेमरा, पटवारी हल्का नंबर सेमरा 16, रा.नि.म. और तहसील-बुढार, जिला-शहडोल (म.प्र), खसरा नंबर 975/1 (0.356 हेक्टेयर), 976/1 (0.119 हेक्टेयर), 977/ 1 (0.702 हेक्टेयर) और 978/1 (0.228 हेक्टेयर), **कुल क्षेत्रफल – 1.405 हेक्टेयर, चतुर्सीमा – उत्तर**–विक्रेता की भूमि , **दक्षिण**–रामशरण मिश्रा की भूमि, **पूर्व**–पंचायती सड़क , **पश्चिम**–श्रीधर तिवारी की भूमि, **मालिक और बंधककर्ता** –श्री मुन्नालाल सोनी पिता श्री सोहनलाल सोनी , श्री वीरेंद्र सोनी पिता श्री मुन्नालाल सोनी और श्री विनय सोनी पिता श्री मुन्नालाल सोनी एवं **3.** अचल संपत्ति मौजा-सेमरा, पटवारी हल्का नंबर सेमरा 16, रा.नि.म. और तहसील-बुढार, जिला-शहडोल (म.प्र), खसरा नंबर 976/2 (0.059 हेक्टेयर), 977/2 (0.350 हेक्टेयर), 930/ 2/ख (0.078 हेक्टेयर) और 978/2 (0.113 हेक्टेयर), **कुल क्षेत्रफल – 0.600 हेक्टेयर, चतुर्सीमा– उत्तर** – विक्रेता की भूमि, **दक्षिण** – रामशरण मिश्रा की भूमि, **पूर्व** – पंचायती सड़क, **पश्चिम** – श्रीधर तिवारी की भूमि, **मालिक और बंधककर्ता** –श्री मुन्नालाल सोनी पिता श्री सोहनलाल सोनी, श्री वीरेंद्र सोनी पिता श्री मुन्नालाल सोनी और श्री विनय सोनी पिता श्री मुन्नालाल सोनी **4.** अचल संपत्ति मौजा - धनपुरी, वार्ड नम्बर 1(1), ज.नं. 474, पी.एच. नम्बर धनपुरी 131, आरएनएम धनपुरी, ब्लॉक - बुढ़ार, तह - सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.), खसरा नंबर 437/2/1, **रकबा 0.085 हेक्टेयर, चतुर्सीमा: उत्तर:** विक्रेता की भूमि, **दक्षिण:** सुरेश कृष्णानी की भूमि, **पूर्व:** सड़क, **पश्चिम:** मोतीलाल पाल की भूमि, **संपत्ति मालिक एवं बंधककर्ता** – श्री वीरेंद्र सोनी पिता श्री मुन्नालाल सोनी **5.** अचल संपत्ति मौजा - धनपुरी ज. नं. 474, पीएच नं. धनपुरी 98 (25), तह - बुरहार, जिला - शहडोल (म.प्र.), खसरा नंबर 1408/2 (0.010 हेक्टेयर), 1408/3 (0.004 हेक्टेयर), और 1408/4 (0.011 हेक्टेयर), **कुल क्षेत्रफल –0.025 हेक्टेयर, मालिक और बंधककर्ता** – श्री मुन्नालाल सोनी पिता श्री सोहनलाल सोनी	अ) 05.08.2022 ब) 07.11.2022 स) सांकेतिक द)₹13,91,96,550.03 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 93,51,700.00 ब) 9,35,170.00 स) 0.50 Lac द) 26.11.2026 अ) 1,88,06,250.00 ब) 18,80,625.00 स) 1.00 Lac द) 26.11.2026 अ) 1,50,15,250.00 ब) 15,01,525.00 स) 1.00 Lac द) 26.11.2026 अ) 64,41,300.00 ब) 6,44,130.00 स) 0.50 Lac द) 26.11.2026

संपत्तियों पर भार जिनकी जानकारी प्रतिभूत लेनदार को है: जानकारी उपलब्ध नहीं है

सरफेसी अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना

नियम एवं शर्तें : (1) विक्रय प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002के नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। **(2)** संपत्तियों की बिक्री **''जो है, ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार** पर होगी। **(3)** ऊपर वर्णित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर है।किन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **(4)** विक्रय अधिकृत ऑन लाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर दिये गये दिनांक व समय पर किया जाएगा। **(5)** संपत्ति विक्रय से संबंधित नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट **www.pnbindia.in, https://baanknet.com** पर विजिट करें ।

स्थान: कटनी, दिनांक 21.10.2026 **पंजाब नेशनल बैंक प्राधिकृत अधिकारी**